जोननि

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जोधपुर

क्रमांकः— अग्नि / 13 / JFS/ 2023—24 / 145 दिनांकः— 18 / 09 / 23

व्यवस्थापक
दिल्ली पब्लिक स्कूल
पाली रोड, झालामण्ड, जोधपुर।

विषय— अग्निशमन अभिशंषा पत्र हेतु अग्निशमन की दृष्टि से भवन / परिसर में स्थापित यंत्र / उपकरण निरीक्षण बाबत।

सन्दर्भ: आपके द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रार्थना पत्र के कम मे।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत आपके विद्यालय का अग्निशमन की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान भवन परिसर में स्थापित की गई अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था यंत्र उपकरणो, फायर एक्सटिंग्युशर, होजरिल, हाइड्रेन्ट, पीए सिस्टम, फायर बकेटस आदि सही व कार्यशील अवस्था में पाई गई। भविष्य हेतु भी इन्हे व निर्देशित की गई अन्य व्यवस्था को सदैव सही व कार्यशील अवस्था मे रखे जाने के लिए मौके पर उपस्थित को निर्देशित किया गया। निम्नलिखित शर्तो की पालना करने की स्थिति मे अग्निशमन की दृष्टि से यह अभिशंषा—पत्र वर्ष 2023—24 हेतू जारी किया जाता है जो कि जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा।

1. भवन में उपयुक्त निकासी व्यवस्था सदैव रखी जावे।
2. भवन मे अग्निशमन हेतु पानी भंडारण की समुचित व्यवस्था सदैव रखी जावे।
3. महाविद्यालय परिसर में उपयुक्त फायर एक्टींग्यूसर , होजरील, व पानी का भंडारण पंपिंग सुविधा पाई गई।पम्पिग यूनिट को सदैव कार्यशील अवस्था में रखा जाना होगा।
4. भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखनी होगी।
5. सुरक्षा स्टाफ का समय समय पर प्रशिक्षण सुरक्षा उपकरणों का परिक्षण किया जाकर उसका रिकॉर्ड संधारण तथा समस्त फायर एक्टींग्यूशर, होजरील का समय पर रख—रखाव किया जाकर चालू हालत मे रखा जाना होगा।
6. विद्यालय परिसर में अनावश्यक व अनुपयोगी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
7. बिना अनुमति भवन व परिसर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
8. उक्त अग्निशमन अभिशंषा प्रमाण पत्र स्वामित्व संबंधित तथा अन्य विधिक दस्तावेज हेतू मान्य न होकर केवल अग्निशमन दृष्टिकोण से ही मान्य होगा।
9. एनबीसी के नियमों की पालना करनी होगी।
10. विद्यालय परिसर में की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग के अधिकारीयों द्वारा कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं यदि कोई कमी अथवा यंत्र उपकरण अकार्यशील पाए जाते है तो यह अभिशंषा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
11. यह अभिशंषा पत्र केवल राजस्थान विकास संस्थान, दिल्ली पब्लिक स्कूल हेतू ही मान्य रहेगा उक्त परिसर में अन्य कोई भवन / विद्यालय अथवा हास्टलो संचालित हो तो उनके लिए पृथक से आवदन किया जाकर अभिशंषा पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

मुख्य-अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर